

भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास

संगीता नागरवाल, सह आचार्य—इतिहास

स्व. राजेश पायलट राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाँदीकुई (दौसा)

आज के आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है लेकिन महिला सशक्तिकरण के इतिहास को जानने से पहले हम यह जान ले कि सशक्तिकरण है क्या ? सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिये प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए संमर्थ एवं स्वतंत्र होता है। अब बात करे महिला शक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है जो राष्ट्र निर्माण को मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है क्योंकि एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद प्राप्त हो। उन्हे पुरुषों के साथ—साथ विकास की सहभागी माना जाए। क्योंकि भारत की आधी आबादी महलाओं की है यदि आधी आबादी पिछड़ जाती है तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात् स्त्री ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित—परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपसना की स्वतंत्रता अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण का आशय है। डॉ अरुण कुमार सिंह कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहतजा से अपना जीवन—यापन कर सके। वही डॉ दिग्विजय सिंह के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है – उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तोर तरीकों की चुनोती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार, निर्णय लेने व अपनी तरीके से जीवन जीने का अधिकार/आज प्रत्येक अवसर पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा की जाती है। और उसकी आवश्यकता भी साबित की जाती है जो सही भी है लेकिन यदि हम भारतीय इतिहास का गहराई से अध्ययन करे तो हम पायेगें की सभ्यता के प्रारम्भिक युग सैधव सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता में महिला सशक्त थी उत्तरवैदिक काल से महिलाओं की स्थिति में गिरावट शुरू हुई जिसकी पराकाष्ठा हमें मध्यकाल में नजर आती है लेकिन उस स्थिति में भी महिलाओं ने प्रत्येक काल में अपनी शक्ति का परिचय दिया और पूरे समाज से अपने शक्ति का लोहा मनवाया। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि भारतीय महिलाओं के लिये महिला सशक्तिकरण कोई नया विषय नहीं है, हाँ आज इस विचारधारा ने अधिक बल अवश्य पकड़ लिया है क्योंकि कुछ उदाहरणों को छोड़ कर महिलाओं की स्थितिमें निरन्तर गिरावट आती रही, उनका लगातार शोषण होता रहा, उन्हें विकास की मुख्यधारा से अलग कर दिया गया। लेकिन आज हम चर्चा करेगे उन विशिष्ट उदाहरणों की जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाये प्राचीन काल से सशक्त रही है। हम शुरूआत करते हैं। सैधव सभ्यता से – खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता और मातृदेवी की लोकप्रियता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि हड्ड्या सभ्यता मातृप्रधान थी परिवार के माता का स्थान सर्वोपरि होता था द्रविड़ समाज की मातृ प्रधान –

ऋग्वेद काल :— इस समय समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था। परिवार में भी स्त्रियों का उच्च स्थान था। पे पति की अद्वागीनी तथा ग्रहस्वामिनी मानी जाती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी⁶, पत्नी ही आनन्द है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता का निवास होता है आदि का प्रमाण वेदों में प्राप्त होता है इस काल में पर्दाप्रथा, सती प्रथा, बाल-विवाह इत्यादि सामाजिक बुराईया समाज में नहीं थी कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था उन्हें उचित शिक्षा दी जाती थी

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसमें स्त्रियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्नतर प्रकट होती है अथवा उनके पुरुषों के सामित अपेक्षा या अधीनस्थ रहने का बोध होता हो। कन्याओं का विवाह पूर्ण योवनावस्था प्राप्त हो जाने पर ही किया जाता था कन्या को स्वयं वरण की अनुमति थी स्त्रियों के घर से बाहर निकलने अथवा आने-जाने की स्वतन्त्रता पर कोई अंकुश नहीं था। आकर्षक वेशभूषा तथा अलंकार धारण करके महिलायें ज़ज़ों पर्वों और सामाजिक समारोहों में इच्छानुसार सम्मिलित होती थी। सामाजिक एंव धार्मिक कृत्यों में पति के समान ही पत्नी का भी स्थान था—स्त्री को पुरुष के समान ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। विभिन्न धार्मिक कार्यों एवं समारोह में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी होती थी। बिना पत्नी के यज्ञपूर्ण नहीं समझे जाते थे। इस युग की नारी पुरुषों के समान ही समाज की स्थायी और गौरवशाली अंग थी। वह स्वच्छंद एवं मुक्त थी। इस समय की नारी ललित शिक्षा भी गृहण करती थी जैसे की नृत्य संगीत, गान, चित्रकला आदि। वैदिक युग में स्त्री को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त था। वैदिक मंत्रों में संकेत मिलता है कि सन्तान न होने पर पति के पश्चात पत्नी ही सम्पत्ति की स्वामिनी होती थी। पुत्र न होने पर पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाती थी। कभी-कभी स्त्रियों अपने सम्पत्ति की उत्तराधिकारी मानी जाती थी। कभी-कभी स्त्रियों अपने सम्पत्ति विषयक अधिकार हेतु न्यायालय भी जाती थी।

युद्ध क्षेत्रों में योद्धा के रूप में स्त्रियों भी भाग लिया करती थी। विश्वला को युद्ध में घायल होकर अपना एक पैर गँवाना पड़ा था और अश्विनी कुमारों ने उनके लोहे के पैर लगया था। एक अन्य वीरांगना ने अपने पति का रथ हांका था और अपने पति के शत्रुओं को पराजित किया था। वैदिक कालीन नारी विद्यथ (सभा आर समिति) तथा समन (उत्सव ओर मेला) में स्वच्छन्दता पूर्वक भाग लेती थी। नारी स्त्रीधन से ब्रह्माण्डों को दान देती थी। यानि की तत्कालीन समाज में नारी की दशा अत्यन्त उचित ओर परिष्कृत थी महिलाओं का देवी की उपमा दी जाती थी और उनका यथोचित सम्मान किया जाता था। तत्कालीन समाज में विशेष ख्याति प्राप्त महिलाये थी जैसे कि ब्रह्मवादिनी ममता लम्बे समय तक रहने वाली संत की मौं थी। यह महान विद्वान व ब्रह्मज्ञानी थी। अग्नि में निमित्त उनका पाठ ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के दसवे सुक्त के श्लोक में मिलता है। अत्रि महर्षि के वंश में पैदा हुई विश्वारा ने ऋग्वेद के पॉचवे मंडल के अठाइसवे सुक्त में वर्णित छह संस्कारों की रचना की। ब्रह्मवादिनी अपाला ने ऋग्वेद की अस्सी आठ मंडलियों के 91 वे सुक्त के एक से सात तक के श्लोकों का विवेचन किया। घोष एक प्रख्यात विद्वान थी। उन्होंने ब्रह्मचारिणी कन्या में सभी कर्तव्यों का उल्लेख दो सुक्तों में दो ब्रह्मचारिणी के रूप में किया। इस आख्यान का संकेत ऋग्वेद के दसवे मण्डल के 39 वे से 41 वे सुक्त में मिलता है। सूर्या ने ऋग्वेद के विवाह पद्य की रचना की है। ब्रह्मवादिनी चक्र जो राजदूत ऋषि की बेटी थी प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी थी जिसने ऋग्वेद संहिता दे दसवे मण्डल के 125 वे सुक्त में दउम देवी सुक्त के नाम से आठ मंत्रों की रचना की। चंडीपाठ के साथ इन मंत्रों का पाठ बहुत ही महान माना जाता है। इसी प्रकार सिकता, निनवारी, श्रद्धा, सावित्री, रोमाशी, सरस्वती सरपरगिनी, अदिती, दक्षिणानी आदि अन्य विदुषी महिलाएं थीं।

उत्तरवैदिक काल :- ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों का स्थान समाज में कुछ निम्न हो गया था। उत्तरवैदिक काल के अन्तिम भाग में तो स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट आ गई। माता का स्थान अभी ऊँचा था लेकिन पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न हो गया। अर्थवेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थान पर कृपण शब्द का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में कन्याओं को बेचने तथ दहेज देने के उल्लेख मिलते हैं। अब महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से मना किया जाने लगा और परिवारों में किये जाने वाले धार्मिक कार्यों में भी स्त्री के स्थान पर पुरोहित को बुलाया जाने लगा। स्त्रियों पर और भी कई भी प्रतिबंध लगाये जाने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि "एक अच्छी स्त्री वह है जे उत्तर नहीं देती।" शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण में तो पुत्री का जन्म दुःख का कारण माना गया है। मेत्रायनी संहिता में स्त्री को जुआ और शराब की भाँति पुरुष का दोष माना गया है। इन सब व्यवस्थाओं को छोड़कर महिलाओं को पर्याप्त सम्मान व अधिकार प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति का एक सकारात्मक पद भी था कन्याओं को धर्म और दर्शन नृत्य, गायन इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। इस समय की दो प्रकार की छात्राये होती थी— ब्रह्मवादिनी, सघोद्राहा। इनमें से ब्रह्मवादिनी आजीवन दर्शन व ब्रह्मविज्ञान का अध्ययन करती थी और सघोद्राहा विवाह होने से पूर्व तक विभिन्न शिक्षा गृहण करती थी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धागिनी कहा गया है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में तो यहाँ तक लिखा है कि चाहे पत्नी दोषी हो, झगड़ालू हो या घर छोड़कर चली गई हो, उसके साथ बलात्कार हुआ हो, उसे त्यागा नहीं जायेगा। धर्मसूत्र में पत्नि को त्यागने वाले पति के लिये कठोर दण्ड का विधान है। अपस्तम्भ में लिखा है कि जिस पति ने अन्याय से अपनी पत्नी का परित्याग किया हो, वह गधे का चमड़ा ओढ़कर प्रतिदिन सात गृहों में यह कहते हुये भिक्षा माँगे की उस पुरुष को भिक्षा प्रदान करो, जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। इस समय भी ऐसी अनेक महिलाएं हुईं, जिन्होंने अपने ज्ञानशक्ति का लोहा मनवाया जिनका उल्लेख उपनिषदों में मिलता है गन्धर्व—गृहिता परम विदुषी तथा भाषण कला में अत्यधिक निपुण थी। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रीयी ने दूसरी पत्नी काव्यायणी के पक्ष में अपने सम्पत्ति के अधिकार को त्याग आत्मज्ञान का रास्ता चुना था। मैत्रीयी का दार्शनिक संवाद मानव—जीवन की दशा और भौतिक जीवन की सीमाओं पर बहुत सुन्दर और गहरा है। इसी उपनिषद में विदेह के राजा जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच उच्च स्तरीय दार्शनिक बहस का उल्लेख मिलता है। जिस ऋषि ने अन्य ऋषियों को हरा दिया था उसे गार्गी द्वारा हरा दिया गया था। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्मत्य सेन ने भी माना है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रीयी के संवादों ने उन्हे विकास के बारे में एक अलग दृष्टिकोण दिया, यह विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसे केवल जी. डी. पर और पी. एन. पी. जैसे मानकों से नहीं मापा जा सकता है। इस प्रकार मैत्रीयी एवं गार्गी वाक्यनवी का पारस्परिक संवाद सिद्ध कर देता है कि स्त्रियों बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से कितनी श्रेष्ठ व सक्षम थी।

महाकाव्य और स्मृतिकाल के समय नारी स्थिति में और गिरावट आई। स्त्रियों का वेदाध्ययन का अधिकार लगभग छिन गया। स्त्री के वेदोध्ययन के प्रति समाज में अरुचि की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी थी। पुत्री की अपेक्षा पुत्र का महत्व अधिक बढ़ गया था, पुत्री का जन्म आपत्ति का कारण समझा जाने लगा था। इस समय सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। लेकिन इस काल में भी कौशल्या कैकयी, तारा, सीता, उर्मिला, महाभारत की सुभद्रा, द्रोपदी, गांधारी, सुशिक्षित नारियों थीं। इससे स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययन का अधिकार छिन जाने पर भी इस युग में स्त्रियों साहित्य एवं

दर्शन का अध्ययन करती थी, गणित, चित्रकला, नृत्य, संगीत, आदि में निपुणता प्राप्त करती थी। स्त्री के वेदाध्ययन के प्रति समाज में अरुचि की प्रवृत्ति होने पर भी कुछ स्त्रीयाँ वेदज्ञान ग्रहण करती थी। महाभारत में द्रोपदी के लिए 'पण्डिता' विशेषण का प्रयोग हुआ है।

बौद्ध और जैन ग्रन्थों में भी ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उल्लेख आया है जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए इस भौतिक जगत का त्याग कर दिया था। जैन ग्रन्थों में कौशास्त्री के राजा की पुत्री जयंती का प्रसंग है जिन्होंने धर्म और दर्शन का अध्ययन करने के लिए विवाह नहीं किया। पौराणिक काल में नारी वैदिक युग के देवी पद से उत्तरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मों में उसकी उपस्थिति पुरुष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के नहीं किया जा सकता था। सर्व विदित है कि अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया गया था। उस समय की अरुन्धती, अनुसूया आदि नारियाँ देवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। राजा दशरथ की पत्नी रानी कैकयी ने तो युद्ध में राजा दशरथ की रक्षा की थी यानि की वह युद्ध कला में निपुण थी। कुल मिला कर वैदिक युग की नारी एक ऐसे सक्षम व्यक्तित्व के रूप में उभरती है जिसे अपने जीवन का रास्ता बनाने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी।

मौर्य काल में :- स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार, दुराचारी पति से संबंध-विच्छेद करने, तथा पारिवारिक सम्पत्ति के दाये भाग तथा दहेज पर अधिकार प्राप्त था। वे पुरुषों के साथ धार्मिक एवं सामाजिक समारोह में भाग लेती थी। बौद्ध भिक्षुणियाँ के रूप में स्वतंत्र रह सकती थी। वे अंगरक्षिकाओं एवं गुन्तुचरों का काम भी करती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षक महिलाये थी।

मध्यकाल :- सम्पूर्ण मध्यकाल नारी की आत्मपीड़ा की महागाथा है यह महिलाओं के लिये अंधकार का युग था। उनके पैरों में विभिन्न प्रकार के नियमों की बेड़ियाँ बांध दी थी। जो कार्य व अपनी इच्छा से करती थी। अब उनके लिये अनिवार्य कर दी गई। जैसे की पर्दा करना व सती होना महिलाओं के लिये अनिवार्य कर दिया गया। सती नहीं होने पर उसे निन्दनीय माना जाता था। महिलाओं के शिक्षा व सम्पत्ति के अधिकार भी छिन लिये गये। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दृष्टि से उन्हे अपंग व आश्रित बना दिया गया। साम्राज्ञी अब दयनीय दासी बन कर रह गई। सभी तरह की सामाजिक बुराईयाँ समाज में प्रवेश कर गई थी। बहु-विवाह, बाल-विवाह, कन्यावध, विधवा विवाह निषेध, जौहर प्रथा, देव-दासी प्रथा से समाज जकड़ चुका था। इस काल में महिला अबला, रमणी व भौग्यवान कर रह गई। जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। सतीत्व की रक्षा और हिन्दू धर्म की रक्षा के नाम पर नारी को ऐसे सामाजिक धार्मिक बंधनों में जकड़ दिया कि वह पुरुष की छायामात्र होकर रह गई और उसक स्वतंत्र अस्तित्व लुप्त हो गया। महिलाओं की मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ताले लगा दिये गये। उनकी साहित्यिक उन्नति के मार्ग पर अनेको प्रतिबंध लगा दिये गये। स्त्री शुद्रों नाधीताम् – जैसे वाक्य रचकर उसे शुद्र की कोटि में रख दिया गया। उसे विवाह संस्कार के अतिरिक्त सभी संस्कारों से वंचित कर दिया गया। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरित्र मानस में "ढोल, गंवार, शूद्र, नारी से सब ताडन के अधिकारी" लिखा तो वही भक्त कवि कबीर ने लिखा कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजुंग कबीरा, तिनकी का गति जो नित नारी के संग (परछाई)। आत्मज्ञान में निमग्न पुरुषों ने नारी तो नारी को मोक्ष मार्ग की बाधा मान लिया। कन्या जन्म को अपशकुन माना जाने लगा। अमीर खुसरो लिखते हैं कि "मैं चाहता था कि तुम्हारा जन्म ही नहीं होता और यदि होता जो पुत्र के रूप में "टॉड ने लिखा है कि राजपूत कहते थे "बेटी जन्म का दिन मेरे लिए अभिशाप स्वरूप है।" बेटी का बाप होना नीची दृष्टि से देखा

जाने लगा था सामान्य परिवारों में लड़की पैदा होने की सूचना दाईं कुछ इस प्रकार देती थी "थारे भाटो जलमियों हैं।" अर्थात् तेरे घर पर पत्थर ने जन्म लिया है पुत्री के जन्म पर लोहे का तवा बजाया जाने लगा था जो घर की जिम्मेदारी का सूचक था। लड़कियों पैदा करने वाली महिला को हिन्ह दृष्टि से देखा जाता था कई मामलों में तो उसका परित्याग भी कर दिया जाता था।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धार्मिक क्षेत्रों में सफलता हासिल की। इन वीरांगनाओं ने परिणाम की परवाह किये बिना अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई बल्कि तत्कालिन समाज को पुरविचार के करने के लिये विवश कर दिया। और पुरुषों के हाथ से जाती हुई बाजी को पुनः हस्तगत करने के अदम्य उत्साह एवं साहित्य की परिचय दिया।

रजिया सुल्तान :— दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनी और पुरुष वर्ग को खुली चुनौती दी।

दुर्गावती :— गोड़ की महारानी 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पन्द्रह वर्षों तक शासन किया।

चाँद बीबी :— ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की।

कर्मवती :— जिसने मेवाड़ की रक्षा की।

मकदुम —ओ—जहान :— ने बहमनी परिवार के निजामशाह की ओर से दक्खन का शासन सँभाला।

नूरजहाँ :— जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शाक्ति के रूप में पहचान हासिल की।

जहाआरा व जेबुन्निसा :— मुगल राजकुमारीयों जो प्रशासक कार्य में भी दक्ष व कवयित्रियों थी। उन्होंने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया।

शिवाजी की माँ जीजाबाई योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया।

मीरा बाई :— ने भक्ति आंदोलन के समय महिलाओं की बेहत्तर स्थिति को वापिस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाये। अन्य संत कवित्रियों में अल्का महादेवी, रामी जानाबाई, लाल देद।

गुलबन्द बेगम :— बाबर की पुत्री एक योग्य साहित्यकार थी जिसने हुमायूँनामा की रचना की थी।

ताराबाई :— राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों पर शासन किया।

अहिल्याबाई :— की प्रशासनिक क्षमता अद्भुत थी।

रामभदबा :— रघुनाथ अभ्युदय में मधुरवाणी की लेखिका तथा आन्ध्र रामायण की अनुवादक।

तिरुमलम्बा :— काव्य वरदंविका परिणयम् की लेखिका।

मोइनांगी :— मारिची परिणयम् नामक प्रेम काव्य की लेखिका मध्यकाल की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्रियों है।

मीरा बाई के अतिरिक्त गुलबदन बेगम, मुमताज महल, महामनगा, सलीमासुल्ताना, सितिउन्निसा (जहाँआरा की अध्यापिका) मध्यकालीन मुस्लिम समुदाय की प्रसिद्ध महिलाये थी और उसकाल की प्रसिद्ध कवियित्रियों थी।

इस प्रकार इस काल में भी विभिन्न बेडियो के बाद भी महिलाओं ने कला साहित्य, संगीत व प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नारी सशक्तिकरण का परिचय दिया।

साहिबजी :— अलीमरदान की बेटी ने अपनी पति की मृत्यु के बाद काबुल पर शासन किया।

कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिससे लगता है कि महिलाओं की थोड़ी बहुत स्थिति सही थी, जैसे की जहाँगीर नामा, तुजुके जहाँगारी में लिखा है कि हिन्दुओं में मान्यता है कि कोई शुभकार्य स्त्री की उपस्थिति या सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। इन प्रतिबंधों के काल में भी राजपूतानियों ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। राव सुरताण की पुत्री ताराबाई तथा मोहिल सरदार की कन्या कर्मदेवी ने अपनी पसंद के राजकुमार से शादी अपनी शर्त के अनुसार शादी की।

अब हम बात करें ब्रिटिश काल की जिसे हम महिलाओं के पुनरोत्थान का काल मान सकते हैं। विभिन्न समाज सुधारकों के प्रयासों से महिला समाज में धीमी गति से सुधार आना प्रारम्भ हुआ। क्योंकि एक बार फिर से समाज को स्त्री शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। अब पुरुष वर्ग को समझ आ गया था कि समाज की आधी आबादी को साथ लिये बिना समाज का उत्थान नहीं किया जा सकता नाहीं स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। समाज के इस वर्ग को साथ लेकर चलना ही होगा। अब आन्दोलन कर्ताओं ने महिलाओं से साथ चलने व सहयोग करने की अपील की। महिलाओं ने इस काल में भी अपनी पूर्ण शक्ति का परिचय देते हुए प्रत्येक आन्दोलन में अपूर्ण सामर्थ्य से सहयोग किया। भारतीय महिलाओं ने हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी सत्ता के साथ संघर्ष किया, साथ ही अनेक कार्यों के द्वारा महिला समाज की उन्नति का प्रयास भी किया। सुभद्रा कुमारी चौहान, तोरन देवी, शुक्ल लली, सुमित्रा कुमारी सिन्हा आदि ने स्त्री समाज को अपनी आवाज दी।¹ सन 1882 में एक अज्ञात महिला ने 'सीमांतनी उपदेश' नामक पुस्तक लिखी और उसकी 300 प्रतियों गुप्त रूप से चला दी। इस पुस्तक में लेखिका का नाम दर्ज नहीं किया गया था। सीमांतनी उपदेश नामक पुस्तक में ऑनर किंलिंग रिश्तेदारों द्वारा होने वाले यौन शोषण, पति से मार खाती औरत की कहानी है। इस पुस्तक में उन बाल विधवाओं की कथा है जो मानसिक और योनिक शोषण सहती हुई अंत में वैश्या बन जाती है इसमें औरतों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। 1

1824 में किन्नुर (कर्नाटक) की रानी चेनम्मा ने अग्रेजी सत्ता के विरुद्ध फिरंगियों भारत छोड़ों का बिगुल बजाया था। 1857 के विद्रोह ने विश्व की सबसे महान व शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी। जिसका नेतृत्व किया जांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिसका स्पष्ट नारा था "मैं जांसी नहीं दूरी" और जांसी को बचाने के प्रयास में उसने प्राण त्याग दिये। जनरल हूरोज ने कहा है कि विद्रोहियों में रानी एक मात्र मर्द थी।

झलकारीबाई :— रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के नेतृत्व में एक महिलाओं की टुकड़ी 'दुर्गा दल' का गठन किया, जिसमे मोतीबाई, काशी बाई, जूही और दुर्गाबाई जैसी अनेक महिला सैनिक थीं जो अंग्रेजों से जूझते हुये वीरगति को प्राप्त हुई थीं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, इनके सैनिक दल में तमाम महिलाये शामिल थीं जिसका नेतृत्व करती थीं। लखनऊ से सिकंदराबाद किले पर हमले में वीरांगना ऊदादेवी ने अकेले ही अंग्रेजों से मुकाबला करते हुये लगभग 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। अंत में ऊदादेवी कैप्टन बेल्स की गोली का शिकार हो गई। ऊदादेवी का जिक्र अमृत लाल नागर ने अपनी कृति 'गदर के फूल' में किया है। इसी प्रकार एक वीरांगना आशादेवी 8 मई 1857 को अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हुये शहीद हो गयी। आशा देवी का साथ देने वाली वीरांगनाओं में रनवीरी वाल्मीकि, शोभा देवी, महावीरी देवी, सहेजा वाल्मीकि, नामकौर, राजकौर, हबीबा, गुर्जर देवी, भगवानी देवी, भगवती देवी, इंदर कौर, कुशल देवी आदि थीं। लखनऊ की एक नर्तकी हैंदरी बाई भी रहीमी के दल में शामिल थीं। अवध के मुकित संग्राम में तुलसीपुर की रानी ईश्वर कुमारी ने होपग्रांट के सैनिक दस्तों से जमकर लोहा लिया। अवध की बेगम आलिया ने भी अपने अद्भुत कारनामों से अंग्रेजी हुक्मत को चुनौती दी थीं। कानपुर की अजीजन बेगम ने नर्तकी का जीवन त्याग कर क्रांतिकारियों की सहायता की। मस्तानीबाई ने भी कानपुर के स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यप्रदेश के रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी, धार की रानी द्रोपदी बाई, जैतपुर, तेजपुर, हिंडोरियों की रानियों ने भी अंग्रेजी सेना से मोर्चा लिया। 1890 में महिला उपन्यासकार स्वर्ण कुमारी घोषाल तथा ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुईं।

सवित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई ने औपनिवेशिक पितृसत्तात्मकता पर प्रहार किया। स्वदेशी आन्दोलन के दौरान सरलादेवी, चौधरानी ने लक्ष्मी भण्डार खोला। वेदकुमारी तथा आज्ञावती ने महिलाओं को संगठित कर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सत्यवती ने साइमन कमीशन के विरोध में काले झण्डे दिखाये। 1916 में ऐनीबीसेंट ने होमरूल आन्दोलन चलाया। सरोजनी नायडु और अली बंधुओं की माँ बी अम्मा कांग्रेस के मंच व कार्यवाहियों में शामिल हुईं। सरोजनी नायडु ने स्त्री पुरुष के लिये मताधिकार की मांग की। 1921 में महिलाओं ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन से प्रिसं ऑफ वेल्स का स्वागत किया। बसंती डे, बहन उर्मिला देवी तथा सुनीति डे का असहयोग अन्दोलन में विशेष योगदान रहा। कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय विवाह सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर तिरंगा फहराया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में तो हजारों की संख्या में महिलाओं ने घरों के बाहर निकलकर, संगठित रूप से कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर, यातनाओं को सहते हुये उस समय रजनीतिक गतिविधियों की बागडोर सम्भाली जब अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने जेलों में डाल दिया था, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सरोजनी नायडु, अरुणा आसफ अली, श्रीमति सुचेता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गौधी, विजयलक्ष्मी पंडित, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, एनीबेसंट, हंसा मेहता, तथा राजकुमारी अमृता कौर जैसी अनेक महिलाओं ने नारी शक्ति का परिचय दिया। जहाँ अहिंसक आन्दोलन में बड़कर भाग लिया वही क्रांतिकारियों को भी दिल-खोलकर समर्थन व सहयोग दिया। श्रीमति ननीबाला, सुशीला दीदी, दुर्गा भाभी, ललिता घोष का क्रांतिकारी आन्दोलन भी सक्रिय भूमिका रही। आदिवासी आन्दोलन में गया मुंडा की पत्नी माकी तथा नागा रानी गिडाल्यू की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यहाँ तक की विदेशी भूमि से आजादी के लिये लड़े जा रहे आन्दोलन की कैप्टन डॉ लक्ष्मी सहगल थीं। साथ ही मानवती आर्या भी आजाद हिन्द

फौज की रानी झांसी रेजीमेंट में लेफिटनेंट थी। गोलमेज सम्मेलनों में भी राधाबाई सुब्बानाराण तथ बेगम शाहनवाज खान ने महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। देशी महिलाओं के साथ साथ विदेशी महिलाओं यथा ऐनीबिसेन्ट, मारग्रेट नोबुल, मैडम भीकाजी कामा, मैडलिक स्लेड, म्यूरियल लिस्टर, नेली सेनगुप्ता ने भी आन्दोलन को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी की। आजादी के बाद भी भारतीय महिलाओं ने लगातार अपने सशक्तिकरण का परिचय दिया। यहाँ तक की भारतीय संविधान निर्माण में भी महिलाये पीछे नहीं रही और लगभग 15 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। जिनमें सुचेता कृपलनी, मालती चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडु, हंसा मेहता, रेनुकारे, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मु स्वामीनाथन, दक्षश्या नी वेलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मसकैटिनी प्रमुख थी। आजाद भारत भी नारी शक्ति के उदाहरणों से खाली नहीं रहा। इन्दिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। सुचेता कृपलाणी यूपी की मुख्यमंत्री, किरण बेदी प्रथम महला आई पी एस, कमलजीत संधु एशियन गेम्स में प्रथम गोल्ड पदक विजेता, बेछेन्द्री पाल एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला, मदर टेरेसा, फातिमा बीबी प्रथम महिला जज सुप्रीम कोर्ट, मेघा पाटेकर इत्यादि ने पुरुषवादी समाज को चुनौती देते हुये अपनी बुद्धिमता व सामर्थ्य का लोहा मनवाया। संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के बाद तो जैसे महिला सशक्तिकरण को पंख ही लग गये। अब तो देश-विदेश के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सिद्ध कर दी। देश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहाँ महिलाओं ने अपनी विशेष भूमिका अदा न करी हो। शैक्षिक, राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नये नये आयाम तय किये। आज महिलायें आत्मनिर्भर, स्वनिर्भित, आत्मविश्वासी हैं जिन्होंने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण देशों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। आज वह शिक्षिका, नर्स, डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनिशियन, सैनिक, सरकार, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बन रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, मायावती, वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जय ललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित सामाजिक क्षेत्र में मेघा पाटेकर, श्रीमति किरण मजूमदार, इलाभट्ट, सुधा मूर्ति खेल जगत में पी. टी. ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, सुचित्रा सेन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा, सानिया नेहवाल, पी. वी. संधु इत्यादि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

निष्कर्ष :- कहा जा सकता है कि विभिन्न काल खण्डों में चाहे महिला की परिस्थितियों कैसी भी रही हो। उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया है और साबित किया कि महिला अपने आप में सशक्त है। चाहे वह महिला स्थिति का स्वर्णीम युग हो या अन्धकार का युग महिलाओं ने विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को साबित करते हुये पुरुष वर्ग को चुनौती दी है।

संदर्भ सूची :-

1. ऋग्वेद, अर्थवेद
2. त्रिपाठी कुसुम : महिलाओं की दशा और दिशा, कुरुक्षेत्र, 2010
3. महला, अरविंद और सुरेन्द्र कटारिया— भारत में महिला सशक्तिकरण : प्रयास और बाधाएं, जयपुर, 2013
4. मिश्र जयशंकर, प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास, पटना, 2006
5. विद्यालंकार सत्यकेतु प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, नई दिल्ली 1996
6. श्री माली झा. प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली, दिल्ली, 2001
7. अल्टेफर ए. एस. – द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिन्दू सिवलाइजेशन, वाराणसी, 1956

8. अग्रवाल गीता रानी — धर्मशास्त्रों का समाज दर्शन, वराणासी, 1983
9. आचार्य गुरु प्रसाद सभ्यता, संस्कृती, समाज और साहित्य, दिल्ली, 2003
10. चन्द विपिन : भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्ली, 1990
11. चन्द विपिन : आधुनिक भारत, नई दिल्ली, 2000
12. चन्द विपिन : त्रिपाठी कमलेश व वरुण— स्वतंत्रता संग्राम, नई दिल्ली, 1972
13. छाबड़ा जी. एल. — आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रगत अध्ययन (1707–1813), दिल्ली, 1984
14. देसाई नीरा : भारतीय समाज में नारी, दिल्ली, 1982
15. गुप्ता रघुराज : भारत का सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, लखनऊ, 1984
16. गुप्ता मन्मनाथ :— क्रांतिकारी आन्दोलन का वैचारिक इतिहास, दिल्ली, 1980
17. जैन पी. सी. : सामाजिक आन्दोलन का समाजशास्त्र, दिल्ली, 2003
18. काणे पांडुरंग वामन : धर्मशास्त्र का इतिहास, लखनऊ, 1600 प्रथम संस्करण
19. मधु लिमथे : स्वतंत्रता आन्दोलन की विचारधारा का पटलवन, दिल्ली, 1983
20. मित्तल डॉ ए.के : भारत का राजनैतिक सांस्कृतिक इतिहास 1526–1950, आगरा, 2007
21. पराजपेय : भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, इलाहबाद, 2008
22. गुप्त शिव कुमार : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, 1999, जयपुर
23. आर्य हरफूल सिंह : भारत का राजनैतिक व सांस्कृतिक इतिहास, जयपुर 1986–87
24. गैरोला वाचस्पति : भारतीय संस्कृति और कला, लखनऊ 1973
25. श्रीवास्तव के. सी. : प्राचीन भारत का इतिहास, इलाहबाद, 2001